शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1882/नौ–5–17–146सा/2017टीसी

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2017

विषयः प्रदेश के समस्त निकायों को 02 अक्टूबर 2018 तक "खुले में शौच से मुक्त" (ओ0डी0एफ0) घोषित करने की कार्य योजना प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–1854/नौ–5–17–146सा/2017, दिनांक 06 मई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश में अन्य निर्देशों के साथ–साथ स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय) के अन्तर्गत प्रदेश के नगर क्षेत्रों में दिनांक 02 अक्टूबर 2018 तक **"खुले में शौच"** की कुप्रथा को समाप्त करने हेतु वांछित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– नगरीय निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया गया है:–

- All Households that have space to construct toilet, have constructed one.
- All occupants of those households that do not have space to construct toilet have access to a community toilet within a distance of 500 metres.
- All commercial areas have pubic toilets within a distance of 4 km.
- City has a mechainsm in place through which they impose fine on the persons who are found defecating in the open.
- Details of all IHHL constructed from 2011 onwards will have to mandatorily be uploaded on the SBM-Urban portal.
- Pictures of all functional community and public toilets in the city, irrespective of the date of construction, will have to mandatorily be uploaded on the SBM-Urban portal.

3– उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल **(प्रति संलग्न)** भी पूर्ण कराया जाना है। ओडीएफ हेतु पर्याप्त लाभार्थी/धनराशि होने के बावजूद नियमित अनुश्रवण न होने के कारण इस दिशा में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है।

4– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद के नगर निकायों में व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की नियमित समीक्षा करते हुए निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने के संबंध में कार्य योजना संलग्न प्रारूप पर, निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को दिनांक 25.05.2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1882(1)/नौ–5–17–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2– निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– मिशन निदेशक (एसबीएम)/निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9– निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10– नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल।
11– कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)
अनु सचिव।

"खुले में शौच से मुक्त" (ओ0डी0एफ0) घोषित करने की कार्य योजना का प्रारूप

जनपद का नाम	जनपद में स्थित निकायों का नाम	माह जून 2017 के अन्त तक ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने वाले निकायों का नाम	माह सितम्बर 2017 के अन्त तक ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने वाले निकायों का नाम	माह दिसम्बर 2017 के अन्त तक ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने वाले निकायों का नाम	माह मार्च 2018 के अन्त तक ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने वाले निकायों का नाम	माह जून 2018 के अन्त तक ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने वाले निकायों का नाम	माह सितम्बर 2018 के अन्त तक ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने वाले निकायों का नाम

जिलाधिकारी